रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237607 CG-DL-E-27072022-237607

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] No. 530] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 603(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के नियम 4.08 के उप नियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(क) रेलवे के प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक रेलगाड़ी को उस गति सीमा के भीतर ही चलाया जाएगा, जो विशेष अनुदेशों द्वारा उस सेक्शन के लिए मंजूर की गई है।"

[फा. सं. 2022/सेफ्टी (एएंडआर)/19/20]

एस. के. महांति, सदस्य (ओ एंड बीडी) और पदेन सचिव

4995 GI/2022 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 195 (अ), तारीख 14 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2022

- **G.S.R. 603(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60, read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in rule 4.08, in sub-rule (1), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) Every train shall be run on each section of the railway within the limits of speed sanctioned for that section by special instructions."

[F. No. 2022/Safety(A&R)/19/20]

S.K. MOHANTY, Member (O & BD) & Ex-Officio Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part.II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 445(E) dated the 21st July, 1981 and were last amended vide number G.S.R. 195(E), dated 14th March, 2022.